

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी (बडासी), थानों रोड-रायपुर, देहरादून के अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के विभागीय संरचना का शासनादेश संख्या 2584/औ.वि./147-ख, दिनांक 3 दिसम्बर, 2001 के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें तकनीकी व गैर तकनीकी पद समाविष्ट है। विभाग का मुख्य कार्य प्रदेश में खनिजों का अन्वेषण कर खनिज क्षेत्रों को चिन्हित करना उनका मूल्यांकन करना तथा पर्यावरणीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये खनिजों के विदोहन हेतु तकनीकी परामर्श देना है। उपरोक्त कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्येक वर्ष के माह जून/जुलाई में राज्य भूवैज्ञानिक कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें वर्ष भर में सम्पादित कराये जाने वाले खनिजों के अन्वेषण कार्यों को अन्तिम रूप दिया जाता है।

#### भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के मुख्य कार्य

1. **खनिज अन्वेषण** : खनिज अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधात्विक/धात्विक खनिजों एवं इमारती पत्थरों के सर्वेक्षण कार्य किये जाते हैं। प्रश्नगत क्षेत्र का पता लगाने हेतु रिकगनएशन सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। इसके उपरान्त आशातीत परिणाम की प्राप्ति होने पर क्षेत्र में विस्तृत मानचित्र तैयार करना, भूमिगत खनिज आंकलन हेतु वेधन कार्य, ट्रेंचिंग-पिटिंग कार्य से सतह के निकट खनिज का आकार व प्रकार अवलोकित किया जाता है। तदोपरान्त समस्त परिक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर खनिज के भण्डार का आंकलन गुणवत्ता एवं वाणिज्यिक उपयोग को निर्धारित किया जाता है।
2. **रसायन विश्लेषण कार्य** : मुख्यालय में एन.ए.बी.एल. (NABL) ISO/IEC 17025:2005 भारत सरकार बोर्ड प्रमाणित आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रयोगशाला में खनिज नमूनों के अतिरिक्त जल (WATER), वायु (AIR), ध्वनि (SOUND) तथा मृदा (SOIL) के विश्लेषण का कार्य व्यापक स्तर पर किया जाता है। भूवैज्ञानिकों के द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण/खनिज अन्वेषण के दौरान प्राप्त किये गये खनिजों नमूनों का पूर्ण रसायनिक विश्लेषण किया जाता है।
3. **भू-अभियांत्रिकीय कार्य** : भू-अभियांत्रिकीय कार्यों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की जटिल भूगर्भीय संरचना को दृष्टिगत रखते हुये भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन एवं पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुये राज्य के विकास में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित योजनाओं में भूमि की उपयुक्तता एवं स्थायित्व परीक्षण हेतु स्थलों का भूगर्भीय अवलोकन किया जाता है।
4. **खनिज प्रशासन**: खनिज प्रशासन के अन्तर्गत मुख्य खनिज एवं उपखनिज क्षेत्रों की तकनीकी जांच आख्या जिला प्रशासन एवं शासन को उपलब्ध करायी जाती है, जिसके आधार पर मुख्य



खनिज एवं उपखनिज के पट्टे/परमिट/प्रा.ला. शासन द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। पट्टाधारक वैज्ञानिक व पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये खनन कार्य किया जाता है।

खनन प्रशासन के अन्तर्गत उपखनिज क्षेत्रों हेतु तकनीकी जांच आख्या जिला प्रशासन एवं शासन को उपलब्ध करायी जाती है, जिसके आधार पर शासन के द्वारा पर्यावरणीय अनुमति की उपरान्त खनन पट्टे स्वीकृत किये जाते हैं।

#### राजस्व का विगत वर्षों का राजस्व प्राप्ति का ब्यौरा

वर्ष	कुल राजस्व (करोड रु. में)
2010-11	90.24
2011-12	112.33
2012-13	109.90
2013-14	248.00
2014-15	224.31
2015-16	261.60
2016-17	335.27
2017-18	440.00
2018-19	467.30
2019-20	396.83
2020-21	506.24
2021-22	575.01
2022-23	472.25

उपलब्ध खनिजों के भण्डारण/निकासी व विदोहन हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित अधिनियम/शासनादेश, जिसमें नीति के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रपत्र इत्यादित समाविष्ट है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

1. खान एवं खनिज विकास विनियम अधिनियम-1952
2. खान एवं खनिज विकास विनियम अधिनियम-1957
3. खनन परिहार नियमावली 1960 (MCR 1960)
4. The Metalliferous Mines Regulation, 1961
5. उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 (समय-समय पर यथा संशोधित)
6. उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति-2021 (समय-समय पर यथा संशोधित)
7. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित)
8. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली-2023 (समय-समय पर यथा संशोधित)

समस्त नियमावलियां विभागीय वेबसाईट [www.dgm.uk.gov.in](http://www.dgm.uk.gov.in) पर उपलब्ध है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिनियमों, नियमावलियों एवं नीतियों के अन्तर्गत उपखनिजों के खनन पट्टे, अनुज्ञा पत्र, भण्डारण, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडी मिक्स प्लान्ट आदि स्वीकृत किया जाता है। उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर आदि के खनन पट्टे अनुमोदित खनन योजनानुसार एवं अन्य दी गयी शर्तों के अनुसार कार्य करते हैं, के नियंत्रण हेतु समुचित कार्यवाही निदेशालय द्वारा की जाती है इसके अतिरिक्त राजस्व के आंकड़ों का संकलन भी किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 तथा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल, स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2023 क नियम-6 के अन्तर्गत प्रपत्र एम0एम0-1 पर उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर के खनन पट्टे, एम0एम0-01 (क) नवीनीकरण तथा नियम-52 के अन्तर्गत प्रपत्र एम0एम0-8 पर खनन अनुज्ञा हेतु आवेदन किया जाता है।

उक्त आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांचोपरान्त संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक/निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित की जाती है तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है तथा शासन के द्वारा आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाता है।



मुख्य खनिज मैग्नेसाइट, लाईम स्टोन एवं गौण खनिज सोपस्टोन से विगत वर्ष 2022-23 का राजस्व प्राप्ति का ब्यौरा:-

क्र०सं०	वर्ष	खनिज मैग्नेसाइट/लाईमस्टोन/सोपस्टोन से प्राप्त रॉयल्टी (रु. करोड में)			योग (रु. करोड में)
		मैग्नेसाइट	लाईमस्टोन (निम्न ग्रेड)	सोपस्टोन	
1	2022-23	0.61	-	21.2673752	21.8773752

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत मुख्य खनिज लाईम स्टोन, मैग्नेसाइट, सिलिका सैण्ड व गौण खनिज सोपस्टोन निम्न ग्रेड लाईम स्टोन के खनन पट्टों का जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	सोपस्टोन		मैग्नेसाइट		सिलिका सैण्ड		लाईम स्टोन (निम्न ग्रेड)	
		संख्या	क्षेत्रफल (है० में)	संख्या	क्षेत्रफल (है० में)	संख्या	क्षेत्रफल (है० में)	संख्या	क्षेत्रफल (है० में)
1.	बागेश्वर	112	1081.612	01	165.08			-	-
2.	पिथौरागढ़	25	143.205	01	4.184			-	
3.	अल्मोडा	-		-	-	-		-	
4.	चमोली	08	92.842	01	4.133			-	
5.	टिहरी गढ़वाल	-	-			-	-	03	14.165
6.	उत्तरकाशी					01	3.912		
	योग	145	1317.659	03	173.397	01	3.912	03	14.165